संख्या: 11/2023/469 /तीस-1-2022

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 21 मार्च, 2023

विषय: विधान सभा क्षेत्र मीरगंज, जनपद-बरेली में बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-476बी/डीए/प0/22, दिनांक 14.07.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-15/2022/1003/तीस-1-2021, दिनांक 31.03.2022 द्वारा विधान सभा क्षेत्र मीरगंज जनपद-बरेली में बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने हेतु धनराशि रू0 259.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 129.55 लाख कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की गयी है। उक्त बस स्टेशन के निर्माण हेतु कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- प्रश्नगत परियोजना के संबंध में प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम के उक्त पत्र दिनांक 14.07.2022 द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र मीरगंज जनपद-बरेली में बस स्टेशन का निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-15/2022/1003/तीस-1-2021, दिनांक 31.03.2022 द्वारा आंकलित लागत रू0 259.10 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 129.55 लाख निर्गत की गयी थी, जो आहरित नहीं की जा सकी।

3- प्रश्नगत निर्माण कार्य, विधान सभा क्षेत्र मीरगंज जनपद-बरेली में बस स्टेशन का निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-15/2022/1003/तीस-1-2021, दिनांक 31.03.2022 को निरस्त करते हुए परियोजना की कुल लागत रू0 259.10 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2021, दिनांक 07 जून, 2022 में निहित निर्देशों के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में व्यय हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 129.55 लाख (रूपये एक करोड़ उन्तीस लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(3) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2021, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(7) प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/परिवहन निगम का होगा।
(8) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
(9) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराया जाय।
(10) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा ।

(12) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा ।

(13) उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा कार्यदायी संस्था को कार्य आवंटन से पूर्व समस्त प्रक्रियाओं का नियमानुसार अनुपालन स्वस्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

5- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशासकीय संख्या-E-9-386-X-2022-23-दिनांक: 17-03-2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या: 11 /2023/469(1)/तीस-1-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम), ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
8. वित्त नियन्त्रक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम), लखनऊ ।
9. नियोजन अनुभाग-4 ।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
11. नोडल अधिकारी (बजट आवंटन)/उप सचिव, परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन ।
12. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

ह0
मदन मोहन
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।